

रफ्तारों एवं अर्थ भाग
आदि के हस्ताक्षर


निग / 29 19 / II / 15 (160)

लिंक प्रेटीरी

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, (म0प्र0)

निगरानी क्र0 / 15

336
19.8.15



1. बाबूलाल तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र 50 वर्ष
2. मोतीलाल तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र 45 वर्ष
3. रामचन्द्र तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र 38 वर्ष
4. मु0 चुनकी पत्नी स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार 78 वर्ष सभी निवासी नयागांव चित्रकूट थाना नयागांव तहसील मझगावां जिला सतना म0प्र0

----- निगराकारगण

बनाम

1. विदेशी पिता केशी कुम्हार साकिन नयागांव तहसील मझगावां जिला सतना म0प्र0
2. शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना जिला सतना म0प्र0

----- गैरनिगराकारगण

एन.पी. पटेल
19.8.15

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत चित्रकूट तहसील मझगावां जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 09/अ12/2014-15 में पारित आदेश दि0 30/5/2015

निग0 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

भान्यवर,

निगराकारगण निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निम्नलिखित विनय करते हैं-

निगरानी के तथ्य .

यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क्र0 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत चित्रकूट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर गैरनिगराकार क्र0 1, जो पैरो वाला व प्रभावशाली व्यक्ति है, ने राजस्व निरीक्षक वृत चित्रकूट व हल्का चतवारी नयागांव चित्रकूट को अपने प्रभाव में लेते हुये चोरी छिपे बिना सरहददी

रामचन्द्र

अ.पी. बाबूलाल

अ.पी. मोतीलाल


नि० 336
मु० चुनकी

159 160
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निम्न 12919-III/2015 जिला सतना

बाबूलाल विरुद्ध विदेशी

1	2	3
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>वीरेंद्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त, <u>चिन्मयपुर</u> तहसील, <u>म.प्र.रा.वा.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>09/2014-2015</u> में पारित आदेश दिनांक <u>20-05-2015</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14-03-2019</u> को कलेक्टर, <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	